आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या– 23 / 2022

ललिता कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.03.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं0–97 / 2020 में दिनांक 21.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी (श्रीमती ललिता देवी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण अंतर्गत अवरैया, वार्ड सं0–01 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–279 पर आँगनबाड़ी सेविका के पद पर बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इसके बाद मेधा सूची का प्रकाशन हुआ, जिसमें क्रमांक 01 पर विपक्षी सं0–04 एवं क्रमांक 03 पर वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) का नाम था। क्रमांक 02 के अभ्यर्थी पोषक क्षेत्र के बाहर की थी। इसलिए उनका चयन नहीं किया गया। दिनांक 05.02.2020 को आम सभा की तिथि निर्धारित थी जिस दिन शोरगुल के कारण आम सभा को स्थगित कर दिया गया लेकिन बाद में महिला पर्यवेक्षिका ने इसी दिन उक्त केन्द्र पर सेविका के पद पर पूनम कुमारी का चयन दिखलाकर चयन पत्र निर्गत कर दिया। इसके विरूद्ध वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ वाद सं0–04 / 2019–20 दायर किया। जिसमें आरोप लगायी की विपक्षी सं0–04 (श्रीमती पूनम कुमारी) केन्द्र सं0–279 के पोषक क्षेत्र वार्ड सं0–01 की निवासी नहीं	

WEB COPY NOT OFFICIAL

है बल्कि वार्ड सं0–02 की निवासी है तथा इनके (श्रीमती पूनम कुमारी) परिवार के सभी सदस्य वार्ड सं0–02 में निवास करती है, तथा वार्ड सं0–01 से कोई सरोकार नहीं है।

आगे वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है वार्ड सं0–01 एवं वार्ड सं0–02 का गृह सं0 समान है। कि ग्राम पंचायत राज अवरैया के पंचायत मतदाता सूची वर्ष 2006 एवं मतदाता सूची 2011 एवं 2016 में विपक्षी सं0–04 के सभी सदस्यों का नाम वार्ड सं0–02 में दर्ज है। वहां के वार्ड, मुखिया सभी ने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी सं0–04 का वार्ड सं0–01 से कोई सरोकार नहीं है। वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) उक्त केन्द्र के लिए सुयोग्य अभ्यर्थी है इसलिए उनका चयन उक्त केन्द्र पर किया जाना आवश्यक है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के वाद सं0–04/2019–20 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने महिला पर्यवेक्षिका से भौतिक जाँच करवायी उसमें भी पाया की विपक्षी सं0–04 का घर वार्ड सं0–02 में अवस्थित है। इस आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने विपक्षी सं0–04 (श्रीमती पूनम कुमारी) को चयन मुक्त कर दिया, जो विधि सम्मत है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–04 (श्रीमती पूनम कुमारी) ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय में वाद सं0–97/2020 दायर किया जिसमें उन्होंने केवल दो तर्क दिया :–

(i) श्रीमती पूनम कुमारी के पति भूषण कुमार बिंदु का नाम विधान सभा क्षेत्र बिहार की निर्वाचन नियमावली 2018 के वार्ड सं0–01 में दर्ज है।

(ii) चयन मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका 05 में मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता के संबंध में बताया है।

आगे वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–04 (श्रीमती पूनम कुमारी) का तर्क निराधार है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने विपक्षी सं0–04 के परिवारिक बँटवारा के कागजातों को आधार बनाकर आदेश पारित किया है, जो की मार्गदर्शिका 2019 के प्रतिकूल है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी लिखा है स्थल निरीक्षण में विपक्षी सं0–04 को वार्ड सं0–01 के निवासी माना जबकि अभिलेख में ऐसा कोई कागजात नहीं है। और

WEB COPY NOT OFFICIAL

न ही ग्रामीणों का बयान दर्ज है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कागजातों का अवलोकन किये बगैर आदेश पारित कर दिया है, जो गलत है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पूनम कुमारी के परिवार के सभी सदस्यों का नाम वार्ड सं0–02 में है। मतदाता सूची में गलती से केवल पूनम कुमारी का नाम वार्ड सं0–01 में हो गया है। सुनवाई के दौरान वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया की मैपिंग पंजी को (Manipulate) किया गया है।

विपक्षी सं0–04 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी (श्रीमती ललिता कुमारी) का एक मात्र शिकायत है कि चयनित सेविका विपक्षी सं0–04 (श्रीमती पूनम कुमारी) केन्द्र के पोषक क्षेत्र वार्ड सं0–01 की निवासी नहीं है। इस संबंध में विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के कंडिका 05 के अनुसार विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का चयन सही है। मैपिंग पंजी वर्ष 2018 में तैयार किया गया। इसमें विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम है। आम निर्वाचन नामावली 2016 में भी वार्ड सं0–01 में विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम है। वार्ड सदस्य ने भी विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) को वार्ड सं0–01 का माना है। केन्द्र की रिक्ति वाला ग्राम पंचायत राज अवरैया के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सभी ने विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) को वार्ड सं0–01 का निवासी माना है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्वयं स्थल जाँचोपरांत विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) को वार्ड सं0–01 का निवासी माना मानते हुए आदेश पारित किया है, जो सही है।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम मतदाता सूची के वार्ड सं0–01 में दर्ज है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने स्वयं स्थल निरीक्षण में विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का घर वार्ड सं0–01 में पाया है, परंतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश से परिलक्षित होता है कि महिला पर्यवेक्षिका ने जाँच में विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का घर वार्ड सं0–02 में पाया है, अतएव दोनो का आदेश विरोधाभाषी है, ऐसे में उक्त के संबंध में किसी अन्य प्राधिकार से जाँच कराना आवश्यक हो जाता है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता का सुनने एवं वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख

WEB COPY NOT OFFICIAL

के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का वार्ड सं0–01 का निवासी होने अथवा नहीं होने का है। इस संबंध में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना–अपना तर्क प्रस्तुत किया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के गहन परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि मैपिंग पंजी में Manipulation किया हुआ है, क्योंकि मैपिंग पंजी के जिस क्रमांक पर विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम है वहा¡ Whitener लगा हुआ है एवं उस जगह पर किसी भी सक्षम प्राधिकार का प्रतिहस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही Handwritting भी अन्य से भिन्न प्रतीत होता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में अंकित है कि उनके द्वारा स्वयं स्थल जाँच किया गया है एवं विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) को वार्ड सं0–01 की निवासी पाया है। परंतु उनके (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) द्वारा किये गये जाँच का कोई आधार/साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह जाँच भी संदेह उत्पन्न करता है कि किसके उपस्थिति में, कब या किसी ग्रामीण का ब्यान इत्यादि जैसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेशानुसार विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) को वार्ड संख्या–02 की निवासी माना है। जिससे दोनो का आदेश विरोधाभाषी हो जाता है एवं संदेह उत्पन्न करता है, अतएव इस संबंध में जॉच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उल्लेखनीय है कि Election Commission का भी नियम है कि एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही वार्ड एवं उनका (सदस्यों) गृह संख्या भी एक ही होना चाहिए । परन्तु प्रश्नगत मामले में केवल विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम वार्ड संख्या–01 में होना एवं अन्य सदस्यों का नाम वार्ड संख्या–02 में होना तथा सभी का गृह संख्या एक ही होना भी संदेहास्पद है। इसलिए इन सभी बिन्दुओ के जॉच के अलावे यह भी देखना आवश्यक है कि राशन कार्ड में विपक्षी सं0–04 (पूनम कुमारी) का नाम किस वार्ड मे है तथा SEC सर्वे में उनका आवास किस वार्ड में है, यह भी जॉच का विषय हो जाता है। जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में इन बिन्दुओं का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया का आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

के साथ वापस किया जाता है कि उक्त सभी बिन्दुओं की जॉच अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया से कराकर प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर एवं उभय पक्षों को सुनवाई का मौका प्रदान करते हुए 30 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने तक उनके (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) आदेश पर यथास्थिति कायम रहेगी। इस आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया एवं जिला पदाधिकारी, बेतिया को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL